

09.09.2021

पञ्जावली आज पेश हुई। वादी वकील के द्वारा  
विद्वां पार्थना पत्र उत्तुत किया गया। वादी वकील  
के द्वारा इस आशय का पार्थना पत्र उत्तुत किया  
कि हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत को  
आवना से राजीनामा हो चुका है, पक्षकारान  
के मध्य किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं  
रहा। उक्त दावे को आगे चलाना नहीं चाहते  
हैं अतः दावा जरिये विद्वां निरस्त किया जावे  
आदि - आदि।

चूंकि वाद - वादी आगे नहीं चलाना चाहता  
है। अतः वाद - वादी जरिये विद्वां खर्चा रिज  
किया जाता है। वाद पञ्जावली फैसल सुमार  
होकर हल्व जाता कारिबल दफतर हो। निर्णय  
आज दिनांक 09-09-2021 को अपने न्यायालय  
में सुनया गया।

4 -

उपस्थित अधिकारी  
कालावत जिला-टीकानर